



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3 Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]  
No. 350]नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2007/चैत्र 12, 1929  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2007/CHAITRA 12, 1929बाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2007

का.आ 509 (अ).—केंद्रीय सरकार, पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का 15) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 अप्रैल, 2007 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिससे उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपर्युक्त प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

1. धारा 37 के खंड (क) का उप-खंड (ii) और खंड (ख);
2. धारा 41;
3. धारा 42;
4. धारा 47;
5. धारा 59;
6. धारा 60;
7. धारा 61;
8. धारा 62;
9. धारा 63; और
10. धारा 74।

[सं. 12/15/2006-आई.पी.आर.-3]

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2007

S.O. 509 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Patents (Amendment) Act, 2005 (15 of 2005), the Central Government hereby appoints the 2nd day of April, 2007 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely :—

1. sub-clause (ii) of clause (a), and clause (b) of Section 37;
2. Section 41;
3. Section 42;
4. Section 47;
5. Section 59;
6. Section 60;
7. Section 61;
8. Section 62;
9. Section 63; and
10. Section 74.

[No. 12/15/2006-IPR-III]

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2007

का.आ 510 (अ).—केंद्रीय सरकार, पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 38) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 अप्रैल, 2007 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिससे उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपवर्धन प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

1. धारा 3 के खंड (क) का उप-खंड (क) और खंड (झ) के उप-खंड (प) की मद (आ);
2. धारा 35;
3. धारा 36 का खंड (क);
4. धारा 47; और
5. धारा 64 का खंड (घ)।

[सं. 12/15/2006-आई.पी.आर.-3]

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2007

S.O. 510 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Patents (Amendment) Act, 2002 (38 of 2002) the Central Government hereby appoints the 2nd day of April, 2007 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely :—

1. sub-clause (a) of clause (a) and item (b) of sub-clause (u) of clause (i) of Section 3;
2. section 35;
3. clause (a) of section 36;
4. section 47; and
5. clause (d) of section 64.

[No. 12/15/2006-IPR-III]

N. N. PRASAD, Lt. Secy.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ( ii )  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]  
No. 354]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 3, 2007/चैत्र 13, 1929  
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 3, 2007/CHAITRA 13, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

( ओद्योगिक नीति और संबंधन विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2007

का.आ 514(अ).—पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 117छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अप्रैल, 2007 के द्वितीय दिवस को उस तारीख के रूप में निश्चित करती है, जिस पर किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित नियंत्रक के किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपीलों के सभी मामले और अतिलंबन के लिए वारों में प्रतिवावे पर से भिन्न पेटेंट के प्रतिसंहरण और रजिस्टर के प्रतिशोधन से संबंधित सभी मामले अपील बोर्ड को अंतरित हो जाएंगे।

[ सं. 12/15/2006-आईपीआर-III ]

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY  
(Department of Industrial Policy and Promotion)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2007

S.O. 514(E).—In exercise of the powers conferred by Section 117G of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby appoints the 2nd day of April, 2007 as the date on which all cases of appeals against any order or decision of the Controller and all cases pertaining to revocation of patent other than on a counter-claim in a suit for infringement and rectification of register pending before any High Court, shall stand transferred to the Appellate Board.

[No. 12/15/2006-IPR-III]

N. N. PRASAD, Jt. Secy.